बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या–15/एम 1–36/2013 अंश...../ पटना, दिनांक...../

जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान नियमावली, 2014

(बिहार गैर–सरकारी शिक्षण संस्था (ग्रहण) अधिनियम,1988 की धारा 12 के अनुशरण में निर्मित)

बिहार गैर–सरकारी शिक्षण संस्था (ग्रहण) अधिनियम, 1988 (अधिनियम 4, 1988) की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) इसे ''जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान नियमावली, 2014'' कहा जा सकेगा ।
(2) यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

अध्याय–2

2. **परिभाषाएँ** – जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में;
   - *(i)* ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है–''बिहार राज्य गैर–सरकारी शिक्षण संस्थान अधिग्रहण अधिनियम,1988.
   - *(ii)* ''संस्थान'' से अभिप्रेत है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान,पटना।
   - *(iii)* ''नियमावली'' से अभिप्रेत है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान नियमावली, 2014.
   - *(iv)* ''शासी परिषद'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अध्याय–3 में वर्णित निकाय ।
   - *(v)* ''निदेशक'' से अभिप्रेत है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के निदेशक के पद पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/कार्यरत पदाधिकारी ।
   - *(vi)* ''निदेशक,उच्च शिक्षा'' से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त पदाधिकारी ।
   - *(vii)* ''प्रधान सचिव/सचिव'' से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा विभाग,बिहार में प्रधान सचिव/सचिव के पद पर कार्यरत पदाधिकारी ।
   - *(viii)* ''लोक सेवा आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।
   - *(ix)* ''चयन आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ।
   - *(x)* ''विभाग'' से अभिप्रेत है,शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा),बिहार, पटना ।
   - *(xi)* ''सक्षम पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, संस्थान का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत निदेशक,जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना ।
   - *(xii)* ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष (01 अप्रील से 31 मार्च तक) ।
   - *(xiii)* ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ।

अध्याय–3

3. **शासी परिषद्।** – (1) संस्थान के प्रबंधन एवं संचालन हेतु एक शासी परिषद का गठन विभाग द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

(i)	अध्यक्ष	–	बिहार के शिक्षा मंत्री (पदेन)
(ii)	उपाध्यक्ष	–	प्रधन सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग (पदेन)
(iii)	सदस्य	–	प्रधान सचिव/सचिव, वित विभाग या उनके द्वारा नामित्त कोई पदाधिकारी ।
(iv)	सदस्य	–	विभाग द्वारा मनोनीत बिहार प्रांत के उच्च स्तरीय शोध संस्थानों में से किसी एक संस्थान के निदेशक ।
(v)	सदस्य	–	तीन ऐसे व्यक्ति जो राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन या अन्य सामाजिक विज्ञानों के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हों, जिनका मनोनयन विभाग द्वारा किया जायेगा ।
(vi)	सदस्य	–	निदेशक,उच्च शिक्षा (पदेन)।
(vii)	सदस्य	–	निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना (पदेन)।
(viii)	सदस्य सचिव	–	संस्थान के सचिव प्रशासन/रजिस्टार ।

(2) शासी परिषद् की बैठक वर्ष में चार बार आयोजित की जायेगी। बैठक के कोरम के लिए कम–से–कम पाँच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

अध्याय–4
पद,नियुक्ति,प्रोन्नति एवं दायित्व

4. **पद।**– संस्थान में पदों की व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 के अधीन इस नियमावली की अनुसूची–1 के अनुसार होगी । संस्थान में विभिन्न विभागीय आदेशों से अथवा संस्थान के सरकारीकरण किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त सभी कर्मी यथावत बने रहेंगें। आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन एवं स्वीकृत पदों का विलोपन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा ।

5. **उम्र सीमा।** – (1) संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी । शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण विभाग द्वारा शिक्षा एवं शोध के हित में समय–समय पर किया जायेगा । गैर–शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । निदेशक के पद पर नियुक्ति की तिथि को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी ।

(2) निदेशक को छोड़कर संस्थान के सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष होगी।

6. **नियुक्ति।** – (1) निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षों के कार्य–काल के लिए की जायेगी, परन्तु सरकार प्रशासनिक हित में समुचित कारण के आधार पर तीन वर्ष के पूर्व भी निदेशक को पद्च्युत कर सकेगी।

(2) निदेशक को छोड़कर सभी शैक्षिक पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(3) संस्थान के सचिव प्रशासन/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(4) तृतीय वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति चयन आयोग की अनुशंसा पर विभाग द्वारा की जायेगी ।

(5) चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति बिहार सरकार के इस संबंध में प्रभावी नियमों के अनुरूप विभाग द्वारा की जायेगी ।

(6) नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को शिक्षा विभाग द्वारा भेजी जायेगी । संबंधित आयोग अनसूची–1 में वर्णित अर्हताओं के आधार पर विज्ञापन एवं चयन की कार्रवाई करेगें।

7. **प्रोन्नति**। –(1) निदेशक को छोड़ सभी शैक्षिक पदों पर कार्यरत कर्मियों एवं संस्थान के सचिव प्रशासन/रजिस्ट्रार की प्रोन्नति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा दी जायेगी ।

(2) गैर शैक्षिक कोटि के सेवकों को राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप प्रोन्नति का लाभ विभाग द्वारा दिया जायेगा ।

8. **आरक्षण।** – अनुसूची में वर्णित सभी पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

9. **निदेशक का दायित्व।** – संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करना संस्थान के निदेशक का दायित्व होगा। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी/शैक्षिक पदाधिकारी होंगें। सभी अनुसचिवीय कोटि के कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण एवं आवंटन समय–समय पर संस्थान के निदेशक द्वारा किया जायेगा । शासी परिषद/राज्य सरकार द्वारा निदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करना/कराना निदेशक का दायित्व होगा । संस्थान के निदेशक शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

10. **संस्थान के सचिव प्रशासन/रजिस्ट्रार का दायित्व।** – निदेशक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन संस्थान के सचिव प्रशासन/रजिस्ट्रार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगें।

11. **संस्थान में कार्यरत कर्मी के संबंध में प्रावधान।** – संस्थान में कार्यरत कर्मी यथावत बने रहेंगे।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई।** – निदेशक को छोड़कर अन्य सभी कर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होगें।

13. **प्रकीर्ण।** – अन्य सभी मामले जिनके संबंध में उपर के खण्ड में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वे बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार के सेविवर्ग पर लागू अन्य संहिताओं (आचार संहिता सहित) के संगत प्रावधानों से निष्पादित किये जायेंगे ।

14. **कठिनाईयों का निराकरण।** – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

15. **निरसन और व्यावृत्ति।** –(1) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व एतद् द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी कोई नियमावली या निर्गत कोई आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित मानी जायेगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश या उसके अधीन शक्तियों के विरूद्ध किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया/की गई समझी जायेगी। मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–15/एम 1–36/2013 अंश...../ पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को(सी0डी0 सहित) राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक–15/एम 1–36/2013 अंश–236/ पटना, दिनांक 03/2/14/

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव,वित्त विभाग/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक,उच्च शिक्षा/निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना/ उच्च शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित सभी संस्थाओं के निदेशक एवं श्री गौरव कान्त,आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री गौरव कान्त को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव,

अनुसूची–1

संस्थान के शैक्षिक/गैर–शैक्षिक पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	नियुक्ति हेतु अर्हता	अभ्युक्ति
1.	निदेशक	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन या अन्य समाजिक विज्ञान विषय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में एम0ए0 तथा पी0एच0डी0 तथा किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज/शोध संस्थान में कम–से–कम 15 सालों का शिक्षण एवं शोध का अनुभव ***अथवा*** ख्यातिप्राप्त अनुभवी सांसद या विधायक के रूप में 15 वर्षों का अनुभव **अथवा** उच्च प्रशासनिक पद का 15 वर्षों का अनुभव **अथवा** राज्य विधान मंडल या संसद में सचिव स्तर के पदाधिकारी के पद पर कार्य करने का 15 वर्षों का अनुभव **अथवा** समाजिक–राजनीतिक विषयों में 15 वर्ष के शोध एवं प्रकाशन का अनुभव ।	सुयोग्य अनुभवी न मिलने पर राज्य सरकार अर्हता को शिथिल कर सकेगी।
2.	**शैक्षिक पद** रिसर्च फेलो	(क) समाजिक विज्ञान के किसी विषय (राजनीतिशास्त्र, लोक प्रशासन,इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण अथवा विधि) में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी (न्यूनतम 55 प्रतिशत)में स्नातकोत्तर और (ख) यू0जी0सी0नेट/ जे0आर0एफ0क्वालीफाईड या पी0एच0डी0 अथवा अति उच्च स्तरीय प्रकाशन और (ग) वांछनीय विषय में शोध कार्य का कम–से–कम दो वर्षो का अनुभव ।	सुयोग्य अनुभवी न मिलने पर राज्य सरकार अर्हता को शिथिल कर सकेगी।
3.	सांख्यिकी पदाधिकारी	(क) अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री और (ख) आंकड़ा संकलन,संधारण तथा विश्लेषण का ज्ञान और (ग) वांछनीय समाजिक विज्ञान शोध का ज्ञान अथवा अनुभव ।	सुयोग्य अनुभवी न मिलने पर राज्य सरकार अर्हता को शिथिल कर सकेगी।
4.	रिसर्च इन्भेस्टिगेटर/ शोध अण्वेषक	(क)समाजिक विज्ञान के किसी विषय अथवा सांख्यिकी में कम–से–कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री और (ख)समाजिक विज्ञान शोध का ज्ञान अथवा अनुभव ।	सुयोग्य अनुभवी न मिलने पर राज्य सरकार अर्हता को शिथिल कर सकेगी।
5.	**गैर–शैक्षिक पद** सचिव प्रशासन/ रजिष्ट्रार	(क) किसी समाजिक विज्ञान विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर । (ख) किसी सरकार/स्वायत शैक्षिक/शोध संस्थान में प्रशासकीय/शैक्षिक पद पर कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव । (ग)वांछनीय समाजिक विज्ञान विषय में शोध का कम–से–कम दो वर्षो का अनुभव।	सुयोग्य अनुभवी न मिलने पर राज्य सरकार अर्हता को शिथिल कर सकेगी।
6.	प्रधान लिपिक	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
7.	आशुटंकक	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
8.	लिपिक	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
9.	निम्नवर्गीय लिपिक	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
10.	भण्डारपाल	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
11.	पुस्तकाध्यक्ष	(क) समाजिक विज्ञान के किसी विषय में स्नातक डिग्री । (ख) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री ।	
12.	कार्यालय परिचारी	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
13.	रात्रि प्रहरी	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	
14.	झाड़ूदार / फरास	राज्य सरकार में लागू अर्हता एवं व्यवस्था के अनुरूप ।	

सरकार के संयुक्त सचिव